उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

I/7781/2025-काविनी एवं विनियम-29 Comp.No.18405 02-04-2025

कार्यालय ज्ञाप

कमपनी अधिनियम-2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 05.12.2024 को समपनन 209(9)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में, कारपोरेशन की समप्रेक्षा नीति के मानदंडों के अनुसरण हेतु वित्तीय वर्ष के लेखा को ई0आर0पी0 के माध्यम से तैयार करने, इनकम टैक्स, कमप्लायंस, जी0एस0टी0, आई0यू0टी0 रिकानसलेशन, विविध अग्रिम प्रकीर्ण रिकानसलेशन, बैंक रिकानसलेशन, फिक्सड एसेटस डाटा को ई0आर0पी0 पर माइग्रेशन इतयादि के कार्य सम्पादन करने हेतु निम्न शर्तों के तहत संविदा पर कार्मिकों को रखे जाने हेतु नीति निर्धारित की जाती है -

i. संविदा पर रखे जाने हेतु अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया विद्युत सेवा आयोग द्वारा सम्पादित की जायेगी। यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में साक्षात्कार हेतु शार्टलिस्टिंग की प्रक्रिया विद्युत सेवा आयोग द्वारा की जायेगी।

ii. अभ्यर्थियों की अनिवार्य अर्हता CA/CMA (Charted Accountant/Certified Management Accountant) होगी। ई0आर0पी0 प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

iii. क्वालीफाइड CA/CMA को संविदा पर नियुक्त करने हेतु इंसटीटयूट ऑफ चार्टड एकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया व इंसटीटयूट ऑफ कास्ट एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया की शाखा/क्षेत्रीय शाखा से अर्ह अभ्यर्थियों के बायोडाटा/रिज्यूम प्राप्त किये जायेंगे। 0-1 वर्ष का पोस्ट क्वालीफिकेशन अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के माध्यम से चयनित किया जायेगा।

iv. साक्षात्कार हेतु निदेशक (वित्त), उ0प्र0पाकालि के माध्यम से दो सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा।

v. संविदा पर चयनित CA/CMA की प्रथम नियुक्ति का प्रारम्भिक 06 छः माह का समय freelook Period होगा। उक्त अवधि में जिन संविदा पर चयनित CA/CMA की Performance संतोषजनक नहीं पायी जाती है, तो उन संविदा CA/CMA की सेवाएं बिना कोई कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है। संविदा पर चयनित जिन CA/CMA की Performance इस अवधि में संतोषजनक पायी जाती है, उनकी कुल तैनाती अवधि तीन (03) वर्ष की होगी, जिसमें freelook Period की 06 माह की अवधि भी सम्मिलित होगी। आवश्यकतानुसार Performance के आधार पर संविदा पर चयन किये गये CA/CMA के कार्यकाल को एक-एक वर्ष की अवधि के लिये अधिकतम दो बार विस्तारित किया जा सकेगा।

vi. उपरोक्त संविदाकर्मियों को मानदेय के रूप में रू0 40,000/- प्रतिमाह का भुगतान किया जायेगा, जिसमें प्रतिवर्ष Performance संतोषजनक होने के आधार पर 10 प्रतिशत से वृद्वि की जायेगी।

vii. उक्त संविदा कार्मिकों को वर्ष में सभी सार्वजनिक अवकाश एवं 15 आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होंगें (अथवा समय-समय पर जैसा भी कारपोरेशन द्वारा निर्धारित किया जाये)।

viii. उपरोक्त संविदाकर्मियों के उपस्थिति के रिकार्ड की जिम्मेदारी सम्बन्धित इकाई के प्रभारी (इन्चार्ज) की होगी।

ix. उपरोक्त संविदाकर्मियों की सेवायें निर्धारित संविदा अवधि पूर्ण होने से पूर्व बिना कारण बताये एवं बिना कोई लाभ अनुमन्य किये समाप्त की जा सकती है। संविदाकर्मी द्वारा भी

01 माह पूर्व सूचना देकर अपनी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

x. संविदा पर नियुक्ति किये जाने पर व्यय कारपोरेशन/सम्बन्धित वितरण निगम पर भारित होगा।

xi. संविदा पर नियुक्ति हेतु संख्या का निर्णय कारपोरेशन निदेशक मण्डल द्वारा लिया जायेगा।

<u>निदेशक मण्डल की आज्ञा से,</u>

<u>I/7781/2025 02-04-2025</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, गोमती नगर, लखनऊ।
7. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, को निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार कुल 46 CA/CMA (Charted Accountant/Certified Management Accountant) संविदा कर्मियों की नियुक्ति के आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु प्रेषित।
8. उप सचिव (03/04), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. उप सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को निदेशक मण्डल की मद सं0 209(9) में प्राप्त निर्णय के अनुपालन की सूचना सहित प्रेषित।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

02/04/2025

(अनजू)

अनुसचिव (काविनी एवं विनियम)